IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 08 of 2025
(I.A. Nos. 263/2025, 262/2025 & 75/2025)

IN THE MATTER OF:

VIPIN KUMAR SAXENA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	**ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE JHANSI -RESPONDENT NO.5 .**	2-3
2.	**ANNEXURE-1(Colly).** Copy of the Notices issued along with the postal receipts and the printouts of the notices served through email	4-9

THROUGH

Date: 21.05.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
Standing Counsel for STATE, Uttar Pradesh
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNALPRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 08 of 2025

(I.A. Nos. 263/2025, 262/2025 & 75/2025)

IN THE MATTER OF:

VIPIN KUMAR SAXENA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE JHANSI -RESPONDENT NO.5 .

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the undersigned counsel, appearing on behalf of the **Respondent**, has lately come into possession of certain additional documents that are indispensable for the fair and complete adjudication of the above-captioned matter. Accordingly, the present application is being preferred, with utmost humility, seeking leave of this Hon'ble Tribunal to place the said documents on record.

2. That two separate notices, dated **08.10.2024** and **22.11.2024**, were duly issued to the Project Proponent at the postal address and e-mail address furnished by the Project Proponent in the statutory filings to the concerned District Mining Department..

3. That the notices dispatched by speed post were returned undelivered, bearing the postal endorsement **"Left,"** thereby evidencing that service could not be effected at the stated premises. That the very same notices were simultaneously forwarded by e-mail to the email address provided by the

project proponent , and the electronic transmissions stand acknowledged as successfully delivered, inasmuch as no bounce-back or failure receipt was generated. Copy of the Notices issued along with the postal receipts and the printouts of the notices served through email are annexed herewith as **ANNEXURE-1(Colly).**

PRAYER

That in the foregoing circumstances, and in the paramount interest of justice, it is most humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to

a. Take the annexed additional documents on record; and

b. Pass such other or further orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the present case.

THROUGH

Date: 21.05.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
Standing Counsel for STATE, Uttar Pradesh
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 714 /30एम0एम0सी0 / 2024–25 दिनांकः 08/10 /2024

नोटिस

श्री विपिन कुमार सक्सेना
पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना
निवासी–एम0आई0जी0–ए / 135, आशियाना प्रथम,
तहसील व जिला–मुरादाबाद।

जनपद–झाँसी के तहसील–गरौठा स्थित ग्राम–धमनौड़ के आराजी संख्या–1419ख (खण्ड–1) 24.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर धसान नदी तल स्थित बालू/मौरम का नीलामी खनन पट्टा 05 वर्ष (दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक) की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टे में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तो का पालन न करने के सम्बन्ध में कार्यालय के नोटिस **संख्या–535/30एम0एम0सी0/2024–25** दिनांकः17.08.2024 द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिनांकः **18.11.2024 में उल्लिखित General Conditions** की शर्तो एवं **Specific Conditions** की शर्तो का **अनुपालन न किये** जाने जो आपके पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तो एवं उपबन्धों का उल्लंघन **होने के दृष्टिगत अपना** स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के **अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत** करना था। लेकिन आप द्वारा आज दिनांक तक न तो उक्त पत्र का अनुपालन किया गया और न ही अपना लिखित स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त स्वीकृत खनन पट्टा विलेख की पंचम अनुसूची नियम–27(3) के अनुसार द्वितीय वर्ष की सप्तम किश्त की धनराशि **रू0 96,80,000.00 (छियानवे लाख अस्सी हजार रूपये)** बकाया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर उपरोक्त नोटिस दिनांकः 17.08.2024 के अनुपालन में अपना स्पष्टीकरण, एवं उक्त स्वीकृत खनन पट्टा विलेख की पंचम अनुसूची नियम–27(3) के अनुसार द्वितीय वर्ष की सप्तम किश्त की बकाया धनराशि **रू0 96,80,000.00 (छियानवे लाख अस्सी हजार रूपये)** को खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक **"0853, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग"** में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूलप्रति, इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, **अन्यथा की स्थिति में** उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(1) में दिये गये **प्राविधानों** के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
...जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।

RU134276223IN IVR:8285134276223
RL ABBOTGANJ SO (284003)
Counter No:1,14/10/2024,16:31
To:VIPIN KUMAR,MORADABAD
PIN:244001, Moradabad HO
From:J. KHAN ADHIKARI,JHANSI
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
REMOTE1STSM

भारतीय डाक
India Post

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
झाँसी।

कार्यालय 581 जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः-838 /30एम0एम0सी0/2023-24

दिनांकः 22/11/2024

श्री विपिन कुमार सक्सेना
पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना
निवासी-एम.आई.जी.-ए/135, आशियाना प्रथम,
तहसील व जिला-मुरादाबाद।

जनपद-झाँसी तहसील-गरौठा के ग्राम-धमनौड़ के आराजी संख्या-1419ख (खण्ड-01) में 24.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर धसान नदी तल स्थित बालू/मोरम का उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत नियम-23(2)(क) एवं शासनादेश संख्या-1875/86- 2017-57 (सामान्य)/2017 दिनांकः 14.08.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत खनन पट्टा ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष (दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त खनन पट्टे में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या-544/जे0वी0एस0-1200/24 दिनांकः 12.11.2024 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-440/2023 नवीन कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 13.08.2024 के अनुपालन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा जनपद-झाँसी के तहसील- गरौठा स्थित ग्राम-धमनौड़ के आराजी संख्या-1419ख (खण्ड-01) में 24.000 हेक्टेयर क्षेत्र में बालू/मोरम के खनन परियोजना के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 (यथासंशोधित) की धारा-31-ए के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच18455/सी-2/वायु-557/24 दिनांकः 10.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है :-

"माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-440/2023 नवीन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 22.05.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड संख्या-01, गाटा नं0-1419ख, गांव धमनौड़, तहसील-गरौठा, जनपद-झाँसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 19.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ईकाई द्वारा मैसर्स इण्ड0 रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा0लि0, नोएडा द्वारा करायी गयी। परिवेशीय वायुगुणता की अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार पी0एम0 10 प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों से अधिक था। खनन इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 की शर्तो का पूर्णतः अनुपालन नहीं पाया गया जिसके अनुकम में राज्य बोर्ड के पत्रांक एच-16319/सी-2/वायु-557/24 दिनांकः 28.08.2024 द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 (यथासंशोधित) की धारा-31-ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया था। खनन पट्टाधारक द्वारा कारण बताओं नोटिस का अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, झाँसी के पत्र दिनांकः 30.09.224 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड-01 गाटा संख्या-1419ख, ग्राम-धमनौड़ तहसील-गरौठा जनपद-झाँसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 27.09.2024 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है तथा खनन परियोजना स्थल पर आंशिक वृक्षारोपण पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु दिनांकः 05.03.2023 एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित होता नहीं पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1881 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र दिनांकः 30.09.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांकः 18.08.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 (यथासंशोधित) की धारा-31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

....2

जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया गया है :–

1– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी को बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) आदेश दिनांकः 05.03.2023 को रिवोक किया जाता है।

2– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी में संचालन/उत्पादन प्रकिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।

3– यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।''

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/parya/SEIAA/5860/5578/ 2020 दिनांकः 21.11.2024 जिसमें उल्लेख किया गया है कि "a show cause notice was issued to the project proponent vide letter No. 221/PARYA/SEIAA/5860-5578/2019 dated 27.06.2024 but it was received back, bence the show cause notice was e-mailed on the address viven in the application form. The project proponent has not submitted any reply yet. Hence SEIAA opined to keep the EC issued vide letter No. EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 in abeyance, in light of joint committee report of representative of Member Secretary,CPCB and RO, MoEF&CC, Lucknow filed on 08.08.2024.

Hence as per the decision of the SEIAA EC No EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 is kept in abeyance."

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके पक्ष में जनपद–झाँसी तहसील–गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के आराजी संख्या–1419ख (खण्ड–01) में 24.000 हेक्टेयर में 05 वर्षीय स्वीकृत बालू/मोरम का खनन पट्टा के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544/जे0वी0एस0–1200/24 दिनांकः 12.11.2024 एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांकः 10.10.2024 तथा पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/parya/SEIAA/5860/5578/2020 दिनांकः21.11.2024 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3– सदस्य/सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
4– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झाँसी।
[illegible] उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।

RU134280316IN IVR:8285134280316
RL ABBOTGANJ SO <284003>
Counter No:1,23/11/2024,14:54
To:VIPIN KUMAR S,135 ASHIYANA
PIN:244001, Moradabad HO
From:JYESHTH KHA.JILA KHANAN
Wt:15gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

जिलाधिकारी,
झाँसी।

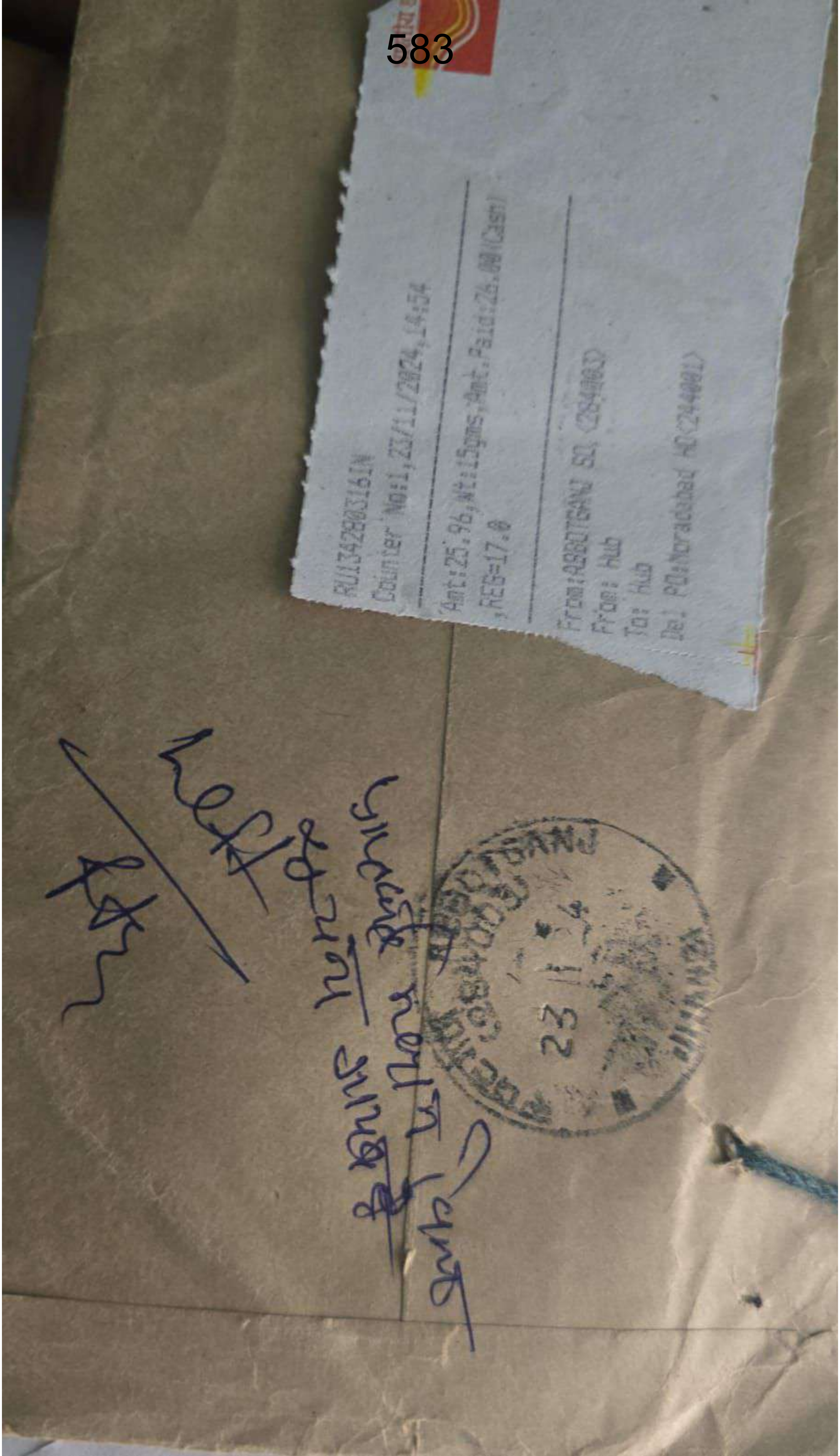
RU134280316IN
Counter No:1,23/11/2024,14:54
Amt:25.96,Wt:15gms,Amt.Paid:26.00(Cash)
,REG=17.0
From:ABBOTGANJ SO (284003)
From: Hub
To: Hub
Del PO:Moradabad HO(244001)
23 11 24

Gmail

mining office <jhansidgmmo@gmail.com>

Letter N0 838

1 message

mining office <jhansidgmmo@gmail.com> Sat, Nov 23, 2024 at 1:08 PM
To: Vipin Saxena <mr.saxena.vipin@gmail.com>

DM.Jhansi

838.pdf
880K

Gmail **mining office <jhansidgmmo@gmail.com>**

Notice

1 message

mining office <jhansidgmmo@gmail.com> Wed, Oct 9, 2024 at 3:12 PM
To: Vipin Saxena <mr.saxena.vipin@gmail.com>

ADM (J)

714.pdf
380K